UNSTARRED ASSEMBLY QUESTION 49

(To prevent the Theft of Grain)

49. Chaudhary Abhay Singh Chautala, M.L.A. Will the Agriculture and FarmersWelfare Minister be pleased to State the steps taken or likely to be taken by the Government to prevent theft of grains by various agencies in the name ofmanagement of wheat in the godowns of State together with the district wisedetails thereof?

Answer: Statement of Sh. Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Haryana.

Sir, In this regard, it is submitted thatFood, Civil Supplies & Consumer Affairs Department isthe Nodal Department for procurement of food grains at Minimum Support Price on behalf of Government of India. The procurement is undertaken mainly by three agencies i.e Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Hafed and Haryana State Warehousing Corporation (HSWC). The paddy is directly delivered from Mandi to the rice mills allotted to these agencies for custom milling. Wheat is also procured on behalf of Government of India. Efforts are made to deliver the maximum stocks of wheat directly from Mandi to the Food Corporation of India, but a huge quantity remains undelivered to the F.C.I., which is stored, preserved and maintained by the above three agenciesin its warehouses/godowns until its delivery to the F.C.I. The stocks are delivered to F.C.I. including the gain in grains as required as per the norms fixed by the Government of India. In case, the required gain is not delivered and less gain/ normal shortage is observed in the dispatches of wheat to F.C.I., then departmental disciplinary proceedings are initiated against the responsible officers/officials. In case, abnormal shortages are observed in the stocks, criminal proceedings besides departmental disciplinary proceedings are initiated.

2. In order to prevent the incidence of theft of wheat stocks from godowns of the agencies various possible steps are being taken.To have a proper watch on the receipt and dispatch of the wheat stocks from the godowns, watch and ward have been deployed as per the norms.

3. Apart from above, to maintain the quality and quantity of the food grain stocks stored in Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Hafed and Haryana State Warehousing Corporation (HSWC) godowns, the instructions/guidelines issued by the department are followed. Department is also taking following steps for proper preservation and maintenance of health of food grain stocks:-

- Physical verification of the food grain stocks and stock articles stored in all the warehouses as on 30th June and 31stDecember is conducted every year by an inter-district and audit committees constituted at Head Office Level.
- For the health of the stocks necessary instructions and guidelines issued by the Head Office.
- Review of monthly dispatches and storage gain and annual review is also done at head office level and responsibility of the defaulting officials is fixed.
- Further it is mentioned here that in order to reduce the risk of theft and to safe guard the stock, the Food Department alongwith Hafed and HSWC is initiating the process of installation of CCTVsurveillance the phased manner.

4. It is pertinent to mention that once all the stocks of a particular crop year stored at a location are completely dispatched to F.C.I., complete review of shortages/storage gain is done after receiving

complete data regarding quantity of stocks stored and dispatched, duly audited and responsibility of the defaulting officials, if any, is fixed by initiating disciplinary proceedings against them. Apart from above, if any discrepancy comes to the notice of head office by way of a complaint, at any point of time, appropriate departmental and/or criminal proceedings are initiated against the responsible officers/officials.

अतारांकित विधानसभा प्रश्न 49

(अनाज की चोरी रोकने बारे)

49. श्री अभय सिंह चौटाला, एम0एल0ए0- क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य के गोदामों में गेहं के प्रबन्धन के नाम पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनाज की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने बारे क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तरः- श्री दुष्यंत चौटाला, उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा का वक्तव्य।

महोदय, इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाता है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद के लिए एक नोडल एजेन्सी है। खरीद का कार्य मुख्यतः तीन एजेन्सियों द्वारा क्रमशः खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम द्वारा किया जाता है। कस्टम मिलिंग के लिए उपरोक्त सभी एजेंसियों को आबंटित चावल को मण्डी से सीधा मिलों को पहुंचाया जाता है। गेंहू की खरीद का कार्य भी भारत सरकार की ओर से किया जाता है। गेंहू का अधिकतम स्टॉक सीधे मंडी से भारतीय खाद्य निगम को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन एक बडी मात्रा भारतीय खाद्य निगम को नहीं पहंचाई जाती है, जिसे उपरोक्त तीनो एजेन्सियो द्वारा अपने गोदामों में तब तक सुरक्षित रखा जाता है जब तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों अनुसार अनाज में अधिकता सहित भारतीय खाद्य निगम को वितरित नहीं किया जाता है। यदि भारतीय खाद्य निगम को गेंहू के

प्रेषण में कम लाभ/सामान्य कमी देखी जाती है तो जिम्मेवार कर्मचारियें/अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि स्टाक में असामान्य कमी पाई जाती है तो विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के अतिरिक्त आपराधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाती है।

2. उपरोक्त एजेन्सियों के गोदामों में गेंहू के स्टॉक की चोरी से सम्बन्धित मामलों की घटनाओं को रोकने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। गोदामों से गेंहू के स्टॉक की प्राप्ति और प्रेषण पर उचित नजर रखने के लिए विभागीय नार्मस अनुसार पी0आर0 चौकीदार नियुक्त किये जाते हैं।

3. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विभाग के गोदामों में भण्डारित स्टाक की गुणवत्ता एवं मात्रा को बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाता है। गोदामों पर भण्डारित स्टाक के स्वास्थ्य के समुचित संरक्षण एवं रख-रखाव के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाये जा रहे हैं-

- मुख्यालय द्वारा जिला स्तर पर गठित कमेटियों तथा लेखा परीक्षा समितियों द्वारा हर वर्ष 30 जून तथा 31 दिसम्बर को समाप्त अवधि का विभाग के पास भण्डारित स्टॉक/स्टॉक आर्टिकल्स की भौतिक जांच की जाती है।
- विभाग के पास भण्डारित स्टाक के स्वास्थ्य तथा रख-रखाव के लिए मुख्यालय द्वारा समय-समय पर हिदायतें तथा गाईडलाईंस जारी की जाती हैं।
- मुख्यालय स्तर पर भण्डारित स्टाक के प्रेषण तथा कम-अधिकता की मासिक तथा वार्षिक समीक्षा की जाती है तथा कोताही करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।
- इसके अतिरिक्त चोरी की घटनाओं को कम करने तथा स्टॉक की सुरक्षा के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम द्वारा चरणबद्ध तरीके से सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

यहां यह भी वर्णन किया जाता है कि किसी भी केन्द्र पर भण्डारित किसी भी खरीद वर्ष के स्टाक का पूर्ण प्रेषण भारतीय खाद्य निगम को होने के उपरान्त स्टॉक की मात्रा, स्टॉक में आई कम-अधिकता तथा गुणवत्ता के दस्तावेजों की जांच की जाती है तथा कोताही करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से कोई शिकायत मुख्यालय के संज्ञान में आती है तो दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही अमल में लाई जाती है।